

फार्म — 'क'

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा -2 के अंतर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

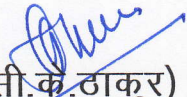
भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना विवरण

(i) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना /स्कीम का संक्षिप्त विवरण	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग- जगदलपुर द्वारा माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आमागुड़ा संरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक 1809 पी रकबा 0.672 हे. वनभूमि पर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है।
(ii) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	मानचित्र संलग्न है।
(iii) परियोजना की लागत	1836.59 लाख
(iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	एन.एम.डी.सी. द्वारा नगरनार स्टील प्लांट प्रस्तावित होने के कारण आवासीय कालोनी की मांग के आधार पर अटल विहार कालोनी एक व्यवस्थित बसाहट शासन की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत निर्माणाधीन कालोनी तक पहुंच मार्ग का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है।
(v) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)	संलग्न है
(vi) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	—
2 .कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आमागुड़ा संरक्षित वनखण्ड कक्ष क्रमांक 1809 पी रकबा 0.672 हे. वनभूमि पर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है।
3.परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	
(i) परिवारों की संख्या	निरंक
(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	निरंक
(iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)	निरंक

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है?(हां /नही)	आवश्यक नहीं।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)	आवश्यक नहीं।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों /दस्तावेजों का ब्यौरा	चेक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र /दस्तावेज संलग्न हैं।


(सी.के.ठाकुर)

कार्यपालन अभियंता
छ.ग. गृह निर्माण मण्डल
संभाग—जगदलपुर (छ.ग.)